न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 14 / 2025 **दायर दिनांकः 03.06.2025**

उनवान

1. गायत्री आयु 45 वर्ष पत्नि गिरिराज जाति माली निवासी सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9587008253

प्रार्थीया

बनाम

1. धनराज आयु 45 वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति माली निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. कजोड़ी बाई आयु 75 वर्ष पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी बडोरा हाल निवासी मकान नं. 8 गोविन्दम नीलकण्ठ कॉलोनी सहकार भवन के सामने झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज०)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थीया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय

निर्णय **दिनाकः—30.06.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडोरा पटवार हल्का बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 311 का ख.नं. 2922 / 1418 का रकबा 0.66 हे० आराजी प्रार्थिया के दर्ज खाता स्थित है तथा खाता संख्या 237 का ख.नं. 1418 / 2649 का रकबा 0.66 हे० आराजी अप्रार्थी क्रम 1 धनराज के तथा खाता संख्या 70 का ख.नं. 1418 का रकबा 1.32 हे0 आराजी

अप्रार्थिया क्रम 2 कजोड़ी बाई के दर्ज खाता स्थित है। नकल नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 311, 237, 70 एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी का पुराना ख.नं. 1418 का रकबा 2.64 हे0 कजोड़ी बाई के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित थी। जिसमें से आराजी खातेदार कजोड़ी बाई ने जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा आराजी अप्रार्थी क्रम 1 धनराज व बनवारीलाल को बेचान की थी। बनवारीलाल से आराजी प्रार्थिया ने क्रय करने पर प्रार्थिया के ख.नं. 2922/1418 का रकबा 0.66 हे० को मुताबिक रजिस्टर्ड बेनामा सही दर्ज कर दिया तथा ख.नं. 1418/2649 का रकबा 0.66 हे0 अप्रार्थी क्रम 1 के सही दर्ज कर दिया तथा ख.नं. 1418 का रकबा 1.32 हे0 अप्रार्थिया क्रम 2 कजोड़ी बाई के खाते में शेष रह गया। पुरानी जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न है। दौराने सेग्रीगेसन (चौसाला जमाबन्दी) नक्शा ट्रेस तरमीम करते वक्त ख.नं. 1418/2649 का रकबा 0.66 हे० को सही दर्ज कर दिया परन्तु नक्शा ट्रेस में रकबा ख.नं. 1418 का रकबा 1.32 हे0 दर्ज कर दिया तथा ख.नं. 2922/1418 का रकबा 0.66 हे0 का रकबा तो सही दर्ज कर दिया परन्तु नक्शा ट्रेस छोटा बड़ा करके गलत दर्ज कर दिया। उक्त नक्शा ट्रेस गलत दर्ज करने की त्रुटि आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने की है जिसे दुरस्त करवाने हेतु प्रार्थिया एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 सहमत है। नक्शा गलत तरमीम करने की त्रुटि आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने की है। जिसे दुरस्त करने हेतु प्रार्थिया ने दिनांक 04/05/2025 को अप्रार्थी क्रम 3 तहसीलदार अटरू को प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख.नं. 1418/2649 का रकबा 0.66 हे0 के लगवा पश्चिम दिशा में ख.नं. 2922/1418 का रकबा 0.66 हे0 का नक्शा प्रार्थिया के तथा ख.नं. 1418 का रकबा 1.32 हे0 प्रार्थिया के ख.नं. के पश्चिम दिशा में तरमीम किया जाना सम्भव नही है। यदि प्रार्थिया एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के स्वामित्व एवं काबिज शुदा आराजी का नक्शा सही तरमीम नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पड़ेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है। अतः प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख.नं. 1418/2649 का रकबा 0.66 हे0 अप्रार्थी क्रम 1 धनराज के तथा धनराज के लगवा पश्चिम दिशा में ख.नं. 2922/1418 का रकबा 0.66 हे0 का नक्शा प्रार्थिया गायत्री के तथा ख.नं. 1418 का रकबा 1.32 हे0 प्रार्थिया के ख.नं. के पश्चिम दिशा में

अप्रार्थिया क्रम 2 कजोड़ी बाई के नक्शा तरमीम किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख.नं. 1418/2649 का रकबा 0.66 हे0 अप्रार्थी क्रम 1 धनराज के तथा धनराज के लगवा पश्चिम दिशा में ख.नं. 2922/1418 का रकबा 0.66 हे0 का नक्शा प्रार्थिया गायत्री के तथा ख.नं. 1418 का रकबा 1.32 हे0 प्रार्थिया के ख.नं. के पश्चिम दिशा में अप्रार्थिया क्रम 2 कजोड़ी बाई के नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश अप्रार्थी क्रम 3 को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के मध्य गांव के व्यक्तियों के समझाने बुझाने से राजीनामा हो गया है। जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को नक्शा तरमीम करने पर कोई आपत्ति नही है तथा सभी पक्षकारान सहमत है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढकर सुनाया गया तथा सही होना स्वीकार किया प्रार्थीया की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की पहचान श्री हरीश गालव द्वितीय एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण प्रपत्र पटवार मण्डल बडौरा प्रविष्टि संख्या 1718 दिनांक 08.08.2024 के अनुसार बनवारी पुत्र रघुनाथ हिस्स पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार ने अपनी आराजी ख0नं0 2922/1418 रकबा 0.66 है0 का बेचान गायत्री पत्नी गिरिराज जाति माली सा0 सकतपुर को कर दिया। विवादित आराजी ग्राम व माल बडौरा में खाता संख्या नया 311 पुराना 227 का ख0नं0 2922/1418 रकबा 0.66 है0 गायत्री पत्नी गिरिराज हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 सकतपुर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बडौरा के खाता संख्या नया 237 पुराना 227 का ख0नं0 1418/2649 का रकबा 0.66 है0 आराजी धनराज पुत्र रघुनाथ हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार के

रूप में दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बडौरा के खाता संख्या नया 70 पुराना 67 का ख0नं0 1136 का रकबा 0.66 है0 व ख0नं0 1418 का रकबा 1.32 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.98 है0 आराजी कजोडी बाई पुत्री भंवरलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 आपसी राजीनामा के अनुसार ग्राम व माल बडौरा की आराजी ख.नं. 1418/2649 का रकबा 0.66 हे0 अप्रार्थी क्रम 1 धनराज के तथा धनराज के लगवा पश्चिम दिशा में ख.नं. 2922/1418 का रकबा 0.66 हे0 का नक्शा प्रार्थिया गायत्री के तथा ख.नं. 1418 का रकबा 1.32 हे0 प्रार्थिया के ख.नं. के पश्चिम दिशा में अप्रार्थिया क्रम 2 कजोड़ी बाई के नक्शा तरमीम करवाना चाहते है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं राजीनामा के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं राजीनामा के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल बडौरा की खाता संख्या 237 के ख0नं0 1418/2649 का रकबा 0.66 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 धनराज के तथा अप्रार्थी क्रम 1 धनराज के लगवा पश्चिम दिशा में ग्राम व माल बडौरा के खाता संख्या 311 का रकबा 0.66 है0 आराजी प्रार्थीया गायत्री के तथा ग्राम व माल बडौरा के खाता संख्या 70 के ख0नं0 1418 का रकबा 1.32 है0 आराजी प्रार्थीया गायत्री के ख0नं0 2922/1418 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थीया क्रम 2 कजोडी बाई के नक्शा मौके अनुसा व रकबे को ध्यान में रखते हुए तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है भूमि का टीम बनाकर पक्षकारान की उपस्थिति में उक्तानुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां